

हुक्म-7

पञ्जावणी क्षेत्र इन्डियन वकील उभयपक्ष :
उपस्थित मूल वाद में प्राथमिकतः 07/11/11
द्वारा 151 अ-दी स्वीकार किये जाने से
मूल वाद स्वामि एके युवा की अर्हः प्राप्ति
का कोई कारण आगे नहीं रहने
से स्वतः ही स्वामि एके पञ्जावणी कोसल
भुगत होकर कारिवाल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
लाहौर (पूर्वी)